उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड ...

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज

बद्री बनाम रामस्वरूप

मु. सं. 87/2022 (दावा)

दिनांक: 19.07.2024

आज पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वादी की ओर से वादपत्र पेश किया जिसमें ग्राम नयागाँव तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 469 रकबा 0.21 हैक्टर एवं 470 रकबा 0.28 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.49 हैक्टर का खातेदारों के मध्य विधिवित विभाजन करने वावत् दिनांक 13.05.2024 को तहसीलदार महवा को बंटवारा कमीशन नियुक्त किया गया। उक्त वर्णित विवादित आराजी का तहसीलदार महवा द्वारा खातेदारों के मध्य विभाजन कर बंटवारा स्कीम दिनांक 03.07.2024 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

हमने वकील उभय पक्ष की बंटवारा स्कीम पर बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार महवा द्वारा प्रस्तुत बंटवारा स्कीम के आधार पर वादी का वादपत्र अंतिम रुप से निम्नानुसार डिकी किया जाता है।

1.बद्री पुत्र रामसहाय जाति मीना नि.कायमपुर पूर्ण हिस्सा – खसरा नम्बर 469/1 रकबा 0.1225 बा. प्रथम।

2.कुसुम पुत्री कजोडीलाल हि. 1/9 तारा पुत्री कजोडीलाल हि. 1/9 बनबारी पुत्र कजोडीलाल हि. 1/9 रमन पुत्र कजोडीलाल हि. 1/9 बिष्णु पुत्र कजोडीलाल हि. 1/9 संतरा पुत्री कजोडीलाल हि. 1/9 जाति महाजन नि. महवा। राजाराम पुत्र हीरालाल हिं. 1/9 रामकिशन पुत्र हीरालाल हि. 1/9 रामस्वरुप पुत्र हीरालाल हि. 1/9 जाति मीना सा. नयागॉव – खसरा नम्बर 469/2 रकबा 0.0875 बा. प्रथम, खसरा नम्बर 470 रकबा 0.2800 चाही. जाव–ए योग– 0.3675

उक्तानुसार ही खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में प्रविष्ठिया की जावे। तदनुसार डिकी जारी की जावे।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी दौसा
महवा जिला दौसा

CamScanner